

**राजस्थान सरकार**  
**वित्त विभाग**  
**अंकेक्षण अनुभाग**

**विषय: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2024-25 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2024-25 राजस्थान विधान सभा में दिनांक 21 अगस्त, 2026 को उपस्थापित किया जा चुका है। उक्त प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वेबसाइट <https://cag.gov.in> तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान की वेबसाइट <https://cag.gov.in/ag1/rajasthan> पर उपलब्ध है।

जैसा कि आपको विदित है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2024-25 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) को प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि में आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हैं। पूर्व में कतिपय विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति को जन लेखा समिति ने अत्यधिक गंभीरता से लिया है और शासन को निर्देश दिये हैं कि भविष्य में उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन में समाविष्ट में आपके विभाग/नियंत्रणाधीन विभागों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि तीन माह (दिनांक 20.11.2026 तक) में महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) को 30 प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधानसभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर की चार प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान तथा एक प्रति वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करावें। यह भी निवेदन है कि प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराने की कार्रवाई भी करावें। प्रतिवेदन में दर्शायी गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर वांछित कार्रवाई भी अमल में लायी जानी अपेक्षित है।

(विभव गालरिया)  
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/  
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा.टीप क्रमांक : प.1 (6) वित्त/अंकेक्षण/2026

जयपुर, दिनांक: 27.08.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1/लेखापरीक्षा-1A) राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर अविलम्ब अपने प्रशासनिक विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
4. निदेशक, वित्त (ग्रान्ट) विभाग एवं समस्त विशिष्ट/संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग राजस्थान, जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ब्रह्म प्रकाश शर्मा)  
उप शासन सचिव